

G R No. 2106495883 dt 12/12/2021

Fee Paid Rs. 200
 Vide Application No. 320
 Date 12/12/2021

अनूसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 78/2021

आवेदन सं० 320/12/12/2021

चुंकि श्री विश्वनी मुखर्जी आवेदन दिया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का साविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2020 से ता० upto date तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति तिथि		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवेदन में वर्णित सम्पत्ति का विवरण								
	Mouza :- <u>रिजरी</u>					Deed No. :- <u>589</u>		
	Thana No. :- <u>219</u>					Dated :- <u>3.2.09</u>		
	Thana :- <u>गाहकुम</u>					Ranchi :- <u>Ranchi</u>		
	Khata No. :- <u>51</u>							
	Plot No. :- <u>85</u>							
	Sub Plot No. :- <u>85/3 85/1 85A</u>							
	Area Of Plot. :- <u>4 Kathas 14.4 Kathas 4 Kathas.</u>							
	Dist :- Ranchi							
	<u>Total 12 Kathas 14 chatak.</u>							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक - प्रमाण पत्र की दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणीत करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- BK Singh

(पदनाम) :- 17/7/2021

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :-

(हस्ताक्षर) :-

कार्यालय :- अवर निबंधक कार्यालय राँची ग्रामीण, राँची।

तारीख :- 17/7/2021

Date: 17/7/2021

टिप्पणी :-



B निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
17/7/2021

(1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

ज्ञापांक 219

17/7/2021 दिनांक 219

किरति रूपा प्रदान

का सम्पत्ति अवभार

प्रमाण पत्र शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक हरियाणा

हरियाणा राँची

की प्रेषित

अवर निबंधक राँची
ग्रामीण क्षेत्र, राँची

B 17/7/2021